(77)

COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००१ निगरानी

R-2387-I/2001

श्री एस. के. अवस्थी एडवोकेट द्वारा आज दि० 14-12-01 को प्रस्तुत।

बेंच सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

14 DEC 2001

मुनीन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजबहादुर सिंह चौहान, निवासी ग्राम नौगवां धीरसिंह तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, म०प्र०

--- प्रार्थी

विरुद्ध

१। दलबहादुर सिंह २। अखण्डप्रताप सिंह ३। शिवबहादुरसिंह तीनों पुत्रगण श्री इन्द्राज सिंह ४। इन्द्राजुदेवी बेवा श्री लालबहादुर सिंह ५। राजबहादुर सिंह पुत्र श्री लालबहादुर सिंह

सभी निवासीगण ग्राम नौगवा धीरसिंह तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, म०प्र०

६। मुस० ललिता देवी बेवा श्री शिवबहादुर सिंह ७। श्रीगोविन्द नारायण सिंह पुत्र श्री विष्णुबहादुरसिंह ८। श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री विष्णुबहादुरसिंह

९। श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री विष्णु बहादुर सिंह १०। श्री राजमणि सिंह पुत्र श्री विष्णु बहादुर सिंह ११। श्री अवनी कुमार पुत्र श्री विष्णुबहादुर सिंह

१२। श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री विष्णुबहादुर सिंह, सभी निवासीगण ग्राम बढौना, तहसील चुरहट, जिला सीधी, म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश– ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

जिला–सीधी

प्रकरण क्रमांक निग0 2387–एक/2001

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के प्र0क्र0 49/2001–02/निग में पारित आदेश दिनांक 05.12.2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट कियाा है कि दिनांक 26.10.99 के आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा आवेदक का पक्ष समाधानकारक मानते हुये विलंब अवधि माफ की गई है । अतः मैं यह पाता हूँ कि समयबाह्य के बिन्दु पर जब एक बार निर्णय हो चुका है तो पुनः सुनवाई किया जाना उचित नहीं।	

अनावेदक द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में रख सकते है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि समय सीमा को माफ किये जाने का आदेश बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया है । बन्दोबस्त सर्वेक्षण के समय बन्दोबस्त अधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त होती है । ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश की अनियमितता की जांच कलेक्टर द्वारा नहीं की जा सकती । आवेदक समय–सीमा माफ किये जाने के आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । अधीनस्थ न्याा प्रकरण में दिनांक 26.10.99 के आगे की कार्यवाही किये जाने लिये बन्दोबस्त सर्वेक्षण समापन के पश्चात अन्तरित किया गया है । प्रकरण में पुनरीक्षक का मुख्य बिन्दु बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.99 है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2001 में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य